पत्रांक–10 / न 4–14 / 04
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

शिव प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्युनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–

विषयः– **मोहिनी देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल, अररिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि उपरोक्त संस्था द्वारा उपलब्ध कागजातों के आधार पर सरकारी अधिसूचना संख्या 328 दिनांक 3.4.2006 के आलोक में विवेचना की गयी है । विद्यालय के संबंध में कंडिकावार स्थिति निम्नवत् है :–

1. स्कूल का संचालन मोहिनी देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है । जिसके ट्रस्टी सदस्य निम्नलिखित है :–

I. श्री राम कुमार रूँगटा, पिता स्व0 महादेव लाल रूँगटा, प्लौट नं0 170, जवाहर नगर एक्सटेशन कॉलनी, वाराणसी ।

II. श्री दिपक कुमार रूँगटा, पिता श्री राम स्वरूप रूँगटा, प्लौट नं0 170, जवाहर नगर एक्सटेशन कॉलनी, वाराणसी ।

III. श्री नंद किशोर रूँगटा, पिता श्री राम कुमार रूँगटा, प्लौट नं0 170, जवाहर नगर एक्सटेशन कॉलनी, वाराणसी ।

उपरोक्त पता से प्रतीत होता है कि यह एक पारिवारिक ट्रस्ट है ।

इनके ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की सूची संलग्न है । सूची से प्रतीत होता है कि अन्य सदस्यों के पारिवारिक संबंध नहीं है ।

2. <u>किसी अन्य सोसाईटी / ट्रस्ट / संस्था / बोर्ड के नाम का उपयोग नहीं करना</u> –

उन्होंने दावा किया है कि विद्यालय किसी का franchise नहीं है तथा विद्यालय किसी अन्य सोसाईटी / ट्रस्ट / संस्था के ब्रॉड / नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से नहीं कर रहा है और भविष्य में भी नहीं करेगा ।

3. **विद्यालय में भूमि, भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के संबंध में –**

विद्यालय द्वारा 2 एकड़ 37 डिसमिल भूमि, दो खंड में, 99 वर्षों के निबंधित लीज पर होने का दावा किया गया है । उक्त भूमि पर ही कुल 33 कमरे निर्मित है । विद्यालय द्वारा उपस्कर, प्रयोगशाला आदि सी0बी0एस0ई0 के निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप होने का दावा किया गया है । अगर सी0बी0एस0ई0 इस विद्यालय को संबंधन देने का विचार रखती है तो उनके निरीक्षणदल को यह जॉच करना होगा कि इसके पास मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना है या नहीं। विभागीय पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है ।

4. **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार विज्ञप्ति निकाल कर शिक्षकों की नियुक्ति –**

विद्यालय के द्वारा एन0सी0टी0ई0 के मापदंड के अनुरूप भी होने का दावा किया गया है । सी0बी0एस0ई0 निरीक्षण दल को संपुष्ट करना होगा ।

5. विद्यालय द्वारा विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाने का दावा किया गया है ।

6. **वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क आदि के प्रति वर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक किया जाना –**

विद्यालय के द्वारा ऐसा करने का दावा किया गया है, परन्तु साक्ष्य के रूप में कोई विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन या प्रोसपेक्टस संलग्न नहीं किया गया है । ऐसे सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ।

7. **25 प्रतिशत पड़ोस के अभिवंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क नामांकन –**

विद्यालय के द्वारा इसका दावा तो किया गया है किन्तु मात्र उनकी युक्ति से यह भरोसा नहीं होता है कि उनके द्वारा इस शर्त्त को अक्षरशः कार्यान्वित किया जायेगा ।

8. **नर्सरी, के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षा के लिए प्रवेश लेने वालो बच्चों को अधिकतम 1 कि0मी0 तथा माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को अधिकतम 3 कि0मी0 से विद्यालया लाया जाना –**

इस शर्त्त को स्वीकार मात्र किया गया है ।

9. **छोटे बच्चे अथवा उनके माता–पिता से नामांकन के लिए साक्षात्कार/परीक्षा या इन्टरेक्शन पर पाबंदी –**

शर्त्त को विद्यालय द्वारा मान्य बतलाया गया है ।

10. **प्रवेश नहीं लिये जाने की स्थिति में 80 प्रतिशत निबंधन तथा आवेदन शुल्क की राशि की वापसी –**

विद्यालय द्वारा ऐसा करने के शर्त्तों को मात्र स्वीकार किया गया है ।

11. उपरोक्त कंडिका– 7 से 10 का शर्त्त यद्यपि ऐच्छिक है, परन्तु बच्चों के हित तथा सामान्य राष्ट्रीय नीति के आलोक में विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे इन शर्त्तों को अक्षरशः मानते हुए इसका अनुपालन करेंगें ।

कंडिका– 1 से 6 के अनिवार्य शर्त्तों के आलोक में विद्यालय को अनापत्ति पत्र निम्नांकित शर्त्तों के आधार पर दी जा रही है –

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0) के निरीक्षण दल यह आश्वस्त हो जाय कि स्कूल अन्य शर्त्तों का पालन करता है ।

(ख) विद्यालय से ऐच्छित शर्त्तों को भी मनवाने का प्रयास किया जाय ।

12. इस पत्र की प्रतिलिपि विद्यालय को भी दी जा रही है ।

13. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 10.04.2006 की प्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह० —

(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 10/न 4–14/04– 414 पटना, दिनांक – 23.6.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल, अररिया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.6.06

(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

20/6/06